माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम–केरता जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक–डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांकः 15.10.2006

गन्ना परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा वर्ष 2020–21

गन्ना परिवहन ई–निविदा की नियम एवं शर्ते

कारखाना स्थल : ग्राम–केरता, तहसील – प्रतापपुर, जिला – सूरजपुर (छ0ग0)

फर्म का नाम व पता ....

....

....

दिनांक –

निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर

G.M. (Admin)
M.M.S.S.K. Ambikapur

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर

ई–निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1696(1) **दिनांक 18/11/2020**

पेराई सत्र 2020–21 में गन्ना परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है इच्छूक फर्म निर्धारित तिथि एवं अंतिम समय तक निविदा प्रपत्र क्रय कर भरकर अपलोड़ कर सकते है।

1. फर्म का नाम : श्री / मेसर्स ....

2. पता : ....

....

....

3. मोबाईल नम्बर : ....

4. ई–मेल आई.डी. : ....

क्र.	अनिवार्य दास्तावेज	विवरण अंकित करें
01	ई0एम0ड़ी जमा राशि	
02	ई0एम0डी0 जमा दिनांक	
03	ई0एम0ड़ी जमा विवरण	
04	बैंक खाता नम्बर जिसमें जमा किया गया हो	
05	जी.एस.टी. नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	
06	पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	
07	03 वर्ष का आयकर रिर्टन अथवा 03 वर्ष का बायलेंस सीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
08	पिछले 02 वर्ष में कम से कम 01 करोड़ प्रति वर्ष में गन्ना परिवहन का कार्यानुभव संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
09	निविदाकार को कम से कम 10 या 15 टन क्षमा वाली 20 वाहनों (ट्रक) का अनुबंध पत्र एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बीमा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

निविदकार फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मया. अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

10. 20 अनुबंधित वाहन 10 टन अथवा 15 टन से अधिक क्षमता वाली वाहनों का विवरण अंकित करें एवं 100 रूपये के गैर भारतीय स्टाम्प पेपर में अनुबंध पत्र संलग्न करें :-

क्र.	रजिस्टेशन नम्बर	बीमा नम्बर	वाहन की लोडिंग क्षमता
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

निविदकार फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर
ग्राम–केरता जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

गन्ना परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा वर्ष 2020–21 की नियम एवं शर्तें

ई–निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1696(1) दिनांक 18/11/2020

1. गन्ना परिवहन ई–निविदा फार्म का मूल्य 2311.00 (2000.00 **रूपये** + 311.00 **रूपये चिप्स द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज)** ऑनलाईन पोर्टल में जमा करना अनिवार्य होगा। (राशि वापसी योग्य नही है) यदि निविदाकार द्वारा उक्त राशि जमा नही किया जाता है, तो निविदाकार की निविदा निरस्त किया जाएगा।

2. **अमानत/ई.एम.डी. राशि** – निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 राशि हेतु **राशि रूपये 5,00,000.00 (पांच लाख रूपये मात्र) (वापसी योग्य है)** कारखाने के खाता नं 30185543714 भारतीय स्टेट बैंक, अम्बिकापुर, में **RTGS No-: SBIN0000310** एवं **(खाता क्रमांक 725800210000030 पंजाब नेशनल बैंक पम्पापुर IFSC Code :- PUNB0725800)** में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित–अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। ई0एम0डी0 की राशि जमा नहीं होने पर निविदा निरस्त की जाएगी।

3. निविदाकार को तकनीकी भाग – एक में निम्नालिखित दोस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

   A- ई.एम.डी. राशि जमा का विवरण। (जमा पावती संलग्न करें)

   B- जी.एस.टी. (GST) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।

   C- फर्म/फर्म का मालिक के नाम का पैन नम्बर प्रमाण पत्र।

   D- शासकीय/अर्द्धशासकीय सस्थाओं जिसमें पिछले दो वर्षो में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 करोड़ तक के गन्ना परिवहन कार्य का अनुभव से सम्बंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज।

   E- वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का आयकर रिटर्न अथवा बैलेन्सशीट। संलग्न करना अनिवार्य होगा।

   F- निविदाकार को कम से कम 10 या 15 टन क्षमता वाली 20 वाहनों (ट्रक) का अनुबंध पत्र एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बीमा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

4. कारखाना क्षेत्र के 20 कि.मी. तक की दूरी हेतु कम से कम 20 वाहन आरक्षित रखना होगा एवं कृषकों द्वारा मांग करने पर तत्काल वाहन उपलब्ध कराना होगा।

5. निविदाकार को पेराई सत्र के दौरान कम से कम 76 ट्रक 15 टन क्षमता वाली एवं 14 ट्रक 10 टन क्षमता वाली वाहन को गन्ना परिवहन कार्य हेतु कारखाना को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आवश्यकता एवं मांग अनुसार वाहनों की संख्या में कमी एवं वृद्धि किया जा सकता है। जिसका दूरी अनुसार संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

6. कृषकों के खेत से 30 स्लेब छोटी गाड़ी एवं 30 स्लेब बड़ी गाडी का है जिस स्लेब में जिस फर्म का न्युनतम दर प्राप्त होगी दर स्वीकृति पश्चात उसी फर्म को कार्यादेश जारी किया जावेगा।

क्रमांक	दूरी	दर 10 टन तक गन्ना परिवहन वाहनों की संख्या	दर 10 टन से ऊपर गन्ना परिवहन हेतु वाहनों की संख्या
1	01 से 05 कि.मी.	0	0
2	06 से 10 कि.मी.	1	1
3	11 से 15 कि.मी.	1	3
4	16 से 20 कि.मी.	1	3
5	21 से 25 कि.मी.	1	3
6	26 से 30 कि.मी.	1	5
7	31 से 35 कि.मी.	1	5
8	36 से 40 कि.मी.	1	4
9	41 से 45 कि.मी.	1	4
10	46 से 50 कि.मी.	1	4
11	51 से 55 कि.मी.	1	6
12	56 से 60 कि.मी.	1	6
13	61 से 65 कि.मी.	1	6
14	66 से 70 कि.मी.	1	6
15	71 से 75 कि.मी.	1	6
16	76 से 80 कि.मी.	0	5
17	81 से 85 कि.मी.	0	5
18	86 से 90 कि.मी.	0	2
19	91 से 95 कि.मी.	0	1
20	96 से 100 कि.मी.	0	1
21	101 से 105 कि.मी.	0	1
22	106 से 110 कि.मी.	0	0
23	111 से 115 कि.मी.	0	0
24	116 से 120 कि.मी.	0	0

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) केरता

25	121 से 125 कि.मी.	0	0
26	126 से 130 कि.मी.	0	0
27	131 से 135 कि.मी.	0	0
28	136 से 140 कि.मी.	0	0
29	141 से 145 कि.मी.	0	0
30	146 से 150 कि.मी.	0	0
	योग	14	76

7. निविदाकार को निविदा फार्म भरने से पूर्व सम्बंधित जिले के कारखाना तक परिवहन करने के लिए आवगमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के सम्बंध में भलि-भांति अवलोकन कर आवश्वस्त हो लेना चाहिए, दर स्वीकृति उपरान्त उक्त आधारों पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षा है कि निविदा भरने से पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भलि-भांति अध्ययन कर लें।

8. निविदाकार से अपेक्षित है कि, वह संबंधित मार्ग का भी अध्ययन कर ले यदि किसी कारणवश नियमित/प्रचलित मार्ग बंद रहता है तो परिवर्तीत मार्ग से परिवहन किये जाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज का भुगतान नही किया जावेगा। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी भाग सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड़ खोला जायेगा।

9. असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि दर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज कारखाने द्वारा देय नही होगा।

10. सफल निविदाकर द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा कारखाना या किसी अन्य संस्था में अनुबंध ना करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार कारखाने के किसी भी ईकाई के निविदा में तीन वर्ष के लिए भाग नही ले सकेंगे।

11. जिस फर्म को कार्यादेश जारी किया जावेगा उस फर्म द्वारा समयावधि में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आकस्मिक रूप से मार्केट से वाहन उपलब्ध कराकर गन्ना परिवहन कार्य किया जावेगा जिसका अन्तर राशि की वसुली परिवहनकर्ता से की जावेगी।

12. जिस परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है, उसे स्वीकृत दरों पर गन्ना पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना परिवहन करने के लिए अनुबंध करना होगा।

13. श्रमिक एवं कर्मचारियों हेतु श्रम अधिनियमों के अधिन सम्बंधित वैधानिक कानून लागू होगा।

14. गन्ना परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा की निविदा प्रपत्र को दिनांक **19/11/2020 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 23/11/2020 को समय दोपहर 12.00 बजे तक https://eproc.cgstate.gov.in पे जाकर भर सकते है** एवं ई–निविदा को निविदा समिति की समक्ष **दिनांक 23/11/2020 को दोपहर 01.00 बजे के बाद** कार्यालय माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर (छ0ग0) में खोला जाएगा निविदाकार/प्रतिनिधि उक्त निविदा में उपस्थित रह सकते है।

15. एल–1 फर्म द्वारा वाहन उपलब्ध नही कराने, कार्य संतोषप्रद नही होने तथा गम्भीर शिकायत सत्य पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त किया जायेगा तथा एल–1 फर्म की ई0एम0डी0 राशि जप्त कर क्षतिपूर्ति की वसूली की जावेगी एवं फर्म को ब्लेक लिस्ट किया जायेगा। एल–2 एवं अन्य निविदाकारों को एल–1 दर पर कार्य करने हेतु कार्यदेश जारी किया जायेगा।

16. कृषक के खेत से परिवहन दर प्रति कि.मी. प्रति टन का दर से प्रस्तुत करना होगा अन्य दर प्रस्तुत करने पर निविदा निरस्त किया जाएगा। कृषकों के ग्राम के वास्तविक दुरी के आधार पर गन्ना परिवहन का भुगतान किया जावेगा।

17. पिकअप, छोटा हाथी, ट्रेक्टर से ढुलाई मान्य नही होगी अनुबंधित वाहन ट्रेक्टर, पिकअप से गन्ना परिवहन नही किया जाएगा।

18. निविदाकार को समस्त कर वहन करना होगा।

19. निविदाकार द्वारा निविदा में 20 वाहनों (ट्रक) का जो स्वयं एवं अनुबंध किया गया हो, उसको गन्ना परिवहन कार्य में लगाया जाना होगा, उक्त 20 वाहनों का दस्तावेज के आधार पर आवश्यकता होने पर भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

20. कृषकों के खेत से गन्ने परिवहन के लिए 30 स्लेब निर्धारित है प्रति स्लेब में 10 टन तक परिवहन दर एवं 10 टन से उपर का परिवहन दर मंगाई गई है पृथक–पृथक प्रत्येक स्लेब में मांग अनुसार दर प्रस्तुत करना होगा।

21. कृषकों का गन्ना परिवहन करते समय गन्ना कृषकों से कार्यादेश दर पर गन्ना ढुलाई एवं कार्यादेश दर पर गन्ना मूल्य से राशि कटौती हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर कारखाने में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22. परिवहन के दौरान लगने वाले पथकर इत्यादि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

23. निविदाकार को किसी भी प्रकार का लोडिंग – अनलोडिंग एवं हाल्टींग का भुगतान नही किया जाएगा।

24. कारखाने द्वारा जारी पर्ची के अनुसार संबंधित ग्राम से ही गन्ना परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा।

25. कारखाने के गन्ना विभाग/कृषि विभाग द्वारा दिये गये निर्देश एवं दूरभाष से दिये गये जानकारी अनुसार संबंधित ग्रामों से गन्ना परिवहन करना अनिवार्य होगा।

26. गन्ना की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। परिवहन के दौरान किसी प्रकार की क्षति/कमी के लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

27. गन्ना ढुलाई के लिए लगाये गये सभी वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सही हालत में होना चाहिए (गाडी का परमिट, ड्राईवर का लाईसेंस, इन्शोरेन्स, रोड़ टैक्स, टोल टैक्स इत्यादि) सहित होना चाहिए।

28. कारखाना द्वारा परिवहनकर्ता को भुगतान हेतु शेष राशि के आधार पर मांग करने पर अग्रिम राशि दिया जावेगा।

29. परिवहनकर्ता को कारखाने द्वारा प्रदाय दुरी चार्ट के अनुसार ही भुगतान किया जावेगा।

30. परिवहनकर्ता को कार्यादेश प्राप्ति पश्चात 100 रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प में कार्यादेश दर पर कार्य करने हेतु अनुबंध पत्र हस्ताक्षर कर एवं साथ में 02 पासपोर्ट साईज फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुबंध पश्चात् वाहनों की सूची, प्रकार एवं संख्या कारखाना प्रबंधन को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व उपलब्ध कराना होगा।

31. परिवहनकर्ता द्वारा पेराई सत्र समाप्त होने पर अंतिम देयक कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम देयक सत्यापन पश्चात प्रदाय किये गये अग्रिम राशि समायोजन पश्चात शेष राशि को भुगतान किया जावेगा।

32. परिवहनकर्ता द्वारा किसानों से किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त नही करेंगे, शिकायत प्राप्त होने पर परिवहन कर्ता से पेनाल्टी सहित राशि वसूली की जावेगी।

33. परिवहन करते समय कृषक का गन्ना रास्ते में कही पर गिर गया, तो गिरे हुए गन्ने का पुरा मूल्य परिवहनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

34. गन्ना ग्रामों से ढुलाई के समय सप्लाई पर्ची साथ में लाना अनिवार्य होगा।

केरता

35. परिवहनकर्ता को केनयार्ड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

36. गन्ना परिवहन के दौरान अनुबंधित वाहनों के द्वारा अन्य प्रयोजन में वाहनों का प्रयोग किया जाना वर्जित होगा।

37. किसी भी विवाद या निविदाशर्तो में शंका का निराकरण प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

38. किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में ही दायर होगा।

अध्यक्ष/क्रय विक्रय समिति/प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी शर्त को विलोपित करने मात्रा घटाने बढाने, निविदा निरस्त करने एवं कार्यादेश निरस्त करने सम्बंधि पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकार फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

मॉं महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) * केरता *

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं...फर्म ....प्रतिनिधि का नाम..पिता का नाम .... पता...का निवासी हुँ मैं शपथ पुर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड किया गया दर न्यून्तम है एवं इससे कम दर पर कार्य नही करूंगा।
2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यादिशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैनें निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नही किया है और नही कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है जिसके लिए ई.एम.डी. राशि कारखाना के खाता क्रमांक ....में राशि रूपये.................................... दिनांक..........................को संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नही पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

निविदाकार फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर